न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– सुप्रिया, आर. ए. एस.)

निर्णय दिनांक : 08/09/25

मुकदमा नं. :– 107 / 2024

बिहारीलाल बनाम अंजनी कुमार वगै0

1. बिहारीलाल पुत्र श्री तारूराम जाति जाट निवासी सीथल वाया बडागांव जिला झुन्झुनूं राज हाल श्रद्धा स्कूल के सामने महाराजा सुरजमल नगर वीर तेजा कॉलोनी, नवलगढ रोड, सीकर राज। मो.नं. 9462267520
2. नरोतमलाल पुत्र तारूराम जाति जाट निवासी सीथल वाया बडागांव जिला झुन्झुनूं राज, हाल ए–15. गोविन्दपुरी सोडाला जयपुर राज.। मो. नं. 7597630782
3. अमर सिंह पुत्र द्वारका प्रसाद जाति जाट निवासी सीथल वाया बडागांव जिला झुन्झुनूं राज.
4. सुरेश पुत्र द्वारका प्रसाद जाति जाट निवासी सीथल वाया बडागांव जिला झुन्झुनूं राज ।
5. भूरी देवी पत्नी द्वारका प्रसाद जाति जाट निवासी सीथल वाया बडागांव जिला झुन्झुनू राज।

–वादीगण

बनाम

1. अंजनी कुमार उर्फ हर्ष पुत्र नागर जाति जाट निवासी सीथल वाया बडागांव जिला झुन्झुनूं राज.।
2. अणची पत्नी मनीराम जाति जाट निवासी सीथल वाया बडागांव जिला झुन्झुनूं राजः। (फौत) इसका वारिस नरेश पुत्र मनीराम है जो जमाबन्दी क्रमांक 13 पर दर्ज है व इसका वारिस है।
   2/1 रजवण पुत्री मनीराम व अणची
   2/2 संदीप पुत्र स्व. सुशीला देवी पुत्री अणची व मनीराम निवासीगण चिमनाराम गढ़वाल की ढाणी भोडकी वाया गुढ़ागौडजी जिला झुन्झुनूं राजः ।
3. अनिल कुमार पुत्र श्रवण कुमार जाति जाट निवासी सीथल वाया बडागांव जिला झुन्झुनूं राज.
4. इन्द्रा देवी पुत्री सरदाराराम पत्नी श्री अशोक जाति जाट निवासी गोदारा की ढाणी, सिंगनौर जिला झुन्झुनूं राज.।
5. ईश्वर सिंह पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी सीथल वाया बडागांव जिला झुन्झुनूं राज. ।
6. कुलदीप सिंह पुत्र समुद्र सिंह जाति जाट निवासी सीथल वाया बडागांव जिला झुन्झुनूं राज.
7. किताब पुत्री मामराज पत्नी श्री लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी खेदडो की ढाणी, जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राज.
8. ख्यालीराम पुत्र मामराज जाति जाट निवासी सीथल वाया बडागांव जिला झुन्झुनूं राज. ।
9. गुरूदयाल पुत्र रतना जाति जाट निवासी सीथल वाया बडागांव जिला झुन्झुनूं राज. ।
10. चावली पत्नी चुनाराम जाति जाट निवासी सीथल वाया बडागांव जिला झुन्झुनूं राज.।
11. झण्डूराम पुत्र मामराज जाति जाट निवासी सीथल वाया बडागांव जिला झुन्झुनूं राज. ।
12. नरेश पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी सीथल वाया बडागांव जिला झुन्झुनूं राज. ।

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

नाराणी पत्नी झुंथाराम जाति जाट निवासी सीथल वाया बडागांव जिला झुन्झुनूं राज.। (फौत)
13. इसका वारिस जमाबन्दी क्रमांक 5,18,30,36,40 पर दर्ज है वह इसके वारिस है।
14. निहाली पत्नी रतनाराम जाति जाट निवासी सीथल वाया बडागांव जिला झुन्झुनूं राज. ।
15. प्रताप सिंह पुत्र रतना जाति जाट निवासी सीथल वाया बडागांव जिला झुन्झुनूं राज.।
16. परमेश्वरी देवी पत्नी सरदाराराम जाति जाट निवासी सीथल वाया बडागांव जिला झुन्झुनूं राज.।
17. प्रवीण कुमार पुत्र रोहिताश कुमार जाति जाट निवासी सीथल वाया बडागांव जिला झुन्झुनूं राज. ।
18. बूंटीराम पुत्र चुनाराम जाति जाट निवासी सीथल वाया बडागांव जिला झुन्झुनूं राजः ।
19. मनकोरी पत्नी बनवारी जाति जाट निवासी सीथल वाया बडागांव जिला झुन्झुनूं राज. ।
20. मूलचन्द पुत्र मामराज जाति जाट निवासी सीथल वाया बढ़ागांव जिला झुन्झुनूं राजः ।
21. महेश कुमार पुत्र चुनाराम जाति जाट निवासी सीधल वाया बडागांव जिला झुन्झुनूं राजः ।
22. महीपाल सिंह पुत्र रतना जाति जाट निवासी सीथल वाया बडागांव जिला झुन्झुनूं राजः ।
23. मोहनलाल पुत्र तारूराम जाति जाट निवासी सीथल वाया बडागांव जिला झुन्झुनूं राज।
24. रघुवीर पुत्र चुनाराम जाति जाट निवासी सीथल वाया बडागांव जिला झुन्झुनूं राजः ।
25. रणवीर पुत्र समुन्द्र सिंह जाति जाट निवासी सीथल वाया बडागांव जिला झुन्झुनूं राज. ।
26. राजेन्द्र पुत्र सरदाराराम जाति जाट निवासी सीथल वाया बडागांव जिला झुन्झुनूं राज.।
27. रिबु पुत्री नागरमल पत्नी श्री महेश गांव बाकरा जिला झुन्झुनूं राज.।
28. विक्रम सिंह पुत्र रोहिताश कुमार जाति जाट निवासी सीथल वाया बडागांव जिला झुन्झुनूं राज. ।
29. विनोद कुमार पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी सीथल वाया बडागांव जिला झुन्झुनूं राज ।
30. श्योबाई पुत्री मामराज पत्नी श्री नारायण जी जाति जाट निवासी सीथल वाया बडागांव जिला झुन्झुनूं राज । (फौत) इसके वारिसः–

30/1 राजेन्द्र पचार पुत्र श्योबाई

30/2 अभिनव

30/3 कुलकित उर्फ शुभम पुत्र स्व. ओमप्रकाश पचार पौत्र श्योबाई.

30/4 सुरेश पत्नी स्व. ओमप्रकाश पुत्रवधु श्योबाई जाति जाट (पचार) निवासीगण चूडी की ढाणी, नंगली तहसील खेतडी जिला झुन्झुनूं राजः ।

30/5 शारदा देवी पुत्री श्योबाई पत्नी विजेन्द्र खेदड

30/6 संगीता उर्फ श्याना देवी पुत्री श्योबाई पत्नी राजेश खेदड

30/7 अनिता पुत्री श्योबाई पत्नी योगेन्द्र खेदड

जाति जाट निवासीगण बामलास कैड जिला झुन्झुनूं राज. ।

31. सजना पुत्री बीरबल पत्नी श्री मोहन निवासी बडा बडून्दा झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं राज. ।
32. सत्यवीर पुत्र सरदाराम जाति जाट निवासी सीथल वाया बडागांव जिला झुन्झुनूं राज. ।
33. सन्तोष पत्नी श्रवण कुमार जाति जाट निवासी सीथल वाया बडागांव जिला झुन्झुनूं राज.।
34. सुमन देवी पत्नी स्व. श्री रोहिताश कुमार जाति जाट निवासी सीथल वाया बडागांव जिला झुन्झुनूं राज. ।

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

35. सुमित्रा पुत्री मामराज पत्नी प्रहलाद निवासी इण्डाली झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं राज.।
36. सुरेन्द्र पुत्र सरदाराराम जाति जाट निवासी सीथल वाया बडागांव जिला झुन्झुनूं राजः ।
37. सुरेन्द्र पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी सीथल वाया बडागांव जिला झुन्झुनू राज. ।
38. सरिता पुत्री बनवारी पत्नी श्री कर्मवीर जाति जाट निवासी लाडसर नुआ. झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं राज.
39. सरिता पुत्री श्रवण कुमार निवासी चनाना झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं राज.।
40. सरोज पत्नी नागर जाति जाट निवासी सीथल वाया बडागांव जिला झुन्झुनूं राज. ।
41. सहीराम पुत्र रतना जाति जाट निवासी सीथल वाया बडागांव जिला झुन्झुनूं राज.।
42. सावित्री पुत्री बनवारी पत्नी स्व. श्री होशियार सिंह जाति जाट निवासी सीथल वाया बडागांव जिला झुन्झुनूं राज.।
43. सावित्री देवी पुत्री बजरंग पत्नी श्री सज्जन सिंह निवासी खींवासर
44. सोनिया पुत्री बनवारी पत्नी श्री राकेश नालपुर खेतडी जिला झुन्झुनूं राज. ।
45. कैलाश चन्द्र पुत्र तारूराम जाति जाट निवासी ग्राम सीथल वाया बडागांव जिला झुन्झुनूं राज.
46. राजस्थान सरकार जरिये लैण्डहोल्डर तहसीलदार गुढ़ागौडजी जिला झुन्झुनूं राजः ।

प्रतिवादीगण

वकील वादीगण :— एडवोकेट विद्याधर जाखड़ व ममता चौधरी
वकील प्रतिवादीगण :— एडवोकेट मीना कुमारी

दावा घोषणार्थ, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

वादीगण का वाद इस आशय का है कि ग्राम सीथल की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 537 रकबा 1.2400 हेक्टर खसरा नम्बर 539 रकबा 3.9400 हैक्टर खसरा नम्बर 559 रकबा 1.2400 हेक्टर खसरा नम्बर 560 रकबा 1.3200 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 7.7400 हैक्टर स्थित है। उक्त भूमि में दर्ज खातेदारी के अनुसार सभी का हक हिस्सा है और सभी सहखातेदार काश्तकार है लेकिन खाता शामलाती है विधिवत विभाजन नहीं हुआ है इसलिये विधिवत विभाजन के लिये उक्त वाद श्रीमानजी की सेवामें पेश किया जा रहा है। वर्णित भूमि में वादीगण व प्रतिवादी नं. 12 नरेश पुत्र मनीराम 23 मोहनलाल पुत्र तारूराम व प्रतिवादी नं. 45 कैलाश का सहहिस्सा है लेकिन प्रतिवादी नं. 23 मोहनलाल तारूराम के अन्य खसरा नम्बर की भूमि में हिस्सा दे रखा है इन खसरा नम्बर में पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार उनका हिस्सा नहीं है और वादीगण व प्रतिवादीगण में आपसी पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार अलग—अलग हिस्से अनुसार काश्त करते है और भूमि लाटते है जो निम्न प्रकार से पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार वादीगण का हिस्सा है। बिहारीलाल व नरोतम के भूमि खसरा नम्बर 560 में कुल 12 बीघा खाम भूमि हिस्से में आई है और खसरा नम्बर 539 में दोनो के 2 बीघा खाम भूमि हिस्से में आई है इस प्रकार वादीगण संख्या 1 व 2 को खसरा नम्बर 560 व 539 के कुल रकबे में 14 बीघा खाम भूमि का खाता अलग बनाया जाकर कब्जे के अनुसार विभाजन में देकर उसी प्रकार वाद विभाजन खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये। जिसके लिये उक्त वाद श्रीमान जी की सेवामें पेश है। वादी नं 3 अमर सिंह वादी नं 4 सुरेश वादी न 5 भूरी देवी के खसरा नम्बर 539 में कुल 3 बीघा खाम भूमि हिस्से में आई है और पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार फसल बोते है व लाटते हैं उसी प्रकार विधिवत विभाजन किया जाकर खाता अलग बनाया जाकर वादी

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

नम्बर 3 लगायत 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। शेष भूमि जो कुल चार खसरा नम्बर कुल रकबा 17400 हैक्टर है उसमें उपर वर्णित वादीगण को उपर वर्णित खत्तरा नम्बर में उनका हिस्सा अलग करके और हिस्से अनुसार खातेदारी घोषित करके शेष रकबे का प्रतिवादीगण 1 लगायत 22 व प्रतिवादीगण 24 लगायत 44 को उनके हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता अलग बना दिया जाये। उसी प्रकार खातेदारी अलग–अलग दर्ज करके और अलग–अलग लगान कायम कर दिया जावे। यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण का विधिवत विभाजन किया जाकर जिस सहहिस्सेदार के जो हिस्सा बंटवारे में आया है उसके लिये रास्ते की सुविधा देते हुवे व मौके व राजस्व रिकॉर्ड में लगान व विभाजन अलग–अलग दर्ज कर दिया जावे। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या में काफी हो गये इसलिये सहहिस्सेदारी काश्त की भूमि के सामुहिक विकास, काश्त आदि में सहमति नहीं बनती है न ही सरकारी सुविधा का फायदा सहखातेदार काश्तकार प्राप्त कर सकते है. काफी असुविधा होती है प्रतिवादीगण को साथ चलकर खाता विधिवत विभाजन करवाने के लिये कहा तो सबका एक साथ चलकर खाता विभाजन करवाना सम्भव नहीं रहा और अन्तिम रूप से दिनांक 15.05.2023 को हिस्सेदारो ने कह दिया कि न्यायालय में दावा करके और अखबार में तामिल चस्पा करके, विधिवत विभाजन करवा लिया जावे, हमें कोई एतराज नहीं है इसलिये वादीगण उक्त वाद विभाजन के लिये श्रीमान जी की सेवामें पेश कर रहे है।

उपरोक्तानुसार दावा पेश होने पर इस न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियानुसार दिनांक 16.12.2024 को वाद वादीगण प्राथमिक तौर पर स्वीकार किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किया गया तथा तहसीलदार गुढागौड़जी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2025/2527 दिनांक 06.08.2025 के द्वारा इस न्यायालय में भिजवाये गये। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण को बहस पत्रावली पर सुना गया। अधिवक्ता ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की। बाद अवलोकन पत्रावली व बगौर मनन बहस वाद वादी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: निर्णय :–

वाद वादीगण सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा वाके ग्राम सीथल की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 537 रकबा 1.2400 हेक्टर खसरा नम्बर 539 रकबा 3.9400 हैक्टर खसरा नम्बर 559 रकबा 1.2400 हेक्टर खसरा नम्बर 560 रकबा 1.3200 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 7.7400 हैक्टर कृषि भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक भू0अ0/2025/2527 दिनांक 06.08.2025 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

। भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08/09/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर
झुन्झुनू

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) झुन्झुनू जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :— श्री सुप्रिया आर.ए.एस.

उनवान बिहारी लाल वगैरह बनाम अजनी कुमार वगैरह

दावा बाबत् घोषणार्थ, विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक : 08/09/25

मुकदमा नं. : 107 / 2024

वादीगण की ओर से अधिवक्ता विद्याधर जाखड व ममता चौधरी की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 08/09/25 को सुप्रिया, सहायक कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादीगण सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा वाके ग्राम सीथल की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 537 रकबा 1.2400 हेक्टर खसरा नम्बर 539 रकबा 3.9400 हैक्टर खसरा नम्बर 559 रकबा 1.2400 हेक्टर खसरा नम्बर 560 रकबा 1.3200 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 7.7400 हैक्टर कृषि भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक भू0अ0 / 2025 / 2527 दिनांक 06.08.2025 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना—अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/09/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुन्झुनू
सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	6	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	2	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिश्नर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिक	
योग	8	योग	

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुन्झुनू
सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) झुंझुनूं